



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277378
CG-DL-E-23102026-277378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5554]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 5554]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5771(अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) (जिसे इसमें आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की नाजुक सूचना अवसंरचना के नाते, हवाईअड्डा परिचालन प्रणालियों से संबंधित निम्नलिखित कंप्यूटर संसाधनों और उनकी सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संरक्षित प्रणालियां घोषित करती है, अर्थात:-

- क) हवाईक्षेत्र लाइटिंग नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली;
- ख) हवाईअड्डा प्रचालन नियंत्रण केंद्र;
- ग) हवाईअड्डा प्रचालन डेटाबेस;
- घ) पहुँच नियंत्रण प्रणाली;
- ङ) बैगेज हैंडलिंग प्रणाली;

- च) सामान्य उपयोग टर्मिनल उपकरण/सामान्य उपयोग यात्री प्रोसेसिंग प्रणाली/सामान्य उपयोग सेल्फ सर्विसेज;
- छ) क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न निगरानी प्रणाली; और
- ज) मास्टर क्लॉक प्रणाली।

2. केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुँच के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात: -

- (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुँच बनाने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का कोई अभिहित कर्मचारी;
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुँच बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया हो; और
- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एए-14/2/2025-सीएसडी]

कृष्ण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2026

S.O. 5771(E).— (1) (i) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the following computer resources relating to the airport operational systems, being Critical Information Infrastructure of the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport and the computer resources of its associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act, namely: -

- a) Airfield Lighting Controlling and Monitoring System;
- b) Airport Operation Control Centre;
- c) Airport Operations Database;
- d) Access Control Systems;
- e) Baggage Handling Systems;
- f) Common Use Terminal Equipment / Common Use Passenger Processing Systems/
Common Use Self Services;
- g) Closed Circuit Television Monitoring System; and
- h) Master Clock System.

2. The Central Government authorises the following personnel to access the protected systems, namely: -

- (a) any designated employee of the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport authorised in writing by the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport;
- (b) any authorized team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport for need-based access; and
- (c) any consultant, regulator, government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport on case-to-case basis.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. AA-14/2/2025-CSD]

KRISHAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.